छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 433/2007</u>

श्री राकेश मिश्रा,
दुर्गाजी मंदिर के पास, इस्पात नगर,
रिसाली, भिलाई–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग
जिला– दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अनावेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 28 सितम्बर 2007)

श्री राकेश मिश्रा के द्वारा आयोग में शिकायत प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 20–02–2007 के आवेदन–पत्र के द्वारा जानकारी चाही गई थी कि दुर्ग जिले के स्वयं के व्यय से कितने सहायक शिक्षक, उच्च वर्ग शिक्षक, प्रधानपाठक, व्याख्याताओं में बी.एड. की डिग्री प्राप्त की है तथा इस प्रकार के कितने शिक्षकों को न्यायालय के आदेश से जो वेतनवृद्धि दिये जाने के आदेश किये गये हैं, न्यायालयीन आदेश के संदर्भ में कितने शिक्षकों को कितनी–कितनी एरियर्स राशि का भुगतान किया गया तथा इस संबंध में क्या शासन का आदेश प्राप्त हुआ था, इस संबंध में शासन आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जावे। आहरण अधिकारी के द्वारा वित्तीय नियमों का उल्लंघन यदि किया गया है तो उनके विरूद्ध आर्थिक अपराध पंजीबद्ध क्या कराया जावेगा ?

2/ आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग को नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक का मुख्य तर्क यह है कि अनावेदक ने निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं दी, किन्तु पत्र दिनांक 26–02–2007 के द्वारा शालाओं से जानकारी बुलाने हेतु डाक व्यय एवं स्टेशनरी आदि का व्यय कुल राशि 14,035/–रुपये की राशि कार्यालय में आवेदक को जमा करने के लिये सूचित किया गया, जिससे कि जानकारी शालाओं से प्राप्त कर प्रदान किया जा सके। आवेदक ने जानकारी नहीं देने के लिये जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित करने के लिये अनुरोध किया तथा यह भी बतलाया कि जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ही उपलब्ध है, उसे स्कूलों से बुलाये जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्राचार्यों को भेजे गये पत्र दिनांक 11–01–2007 की छायाप्रति, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के रिट पिटीशन क्रमांक 6617/2006 की छायाप्रति, रिट पिटीशन क्रमांक 1552/2005 के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति प्रस्तुत की। आवेदक का यह तर्क है कि न्यायालयीन आदेशों के अनुसार बी.एड. डिग्रीधारी शिक्षकों को वेतनवृद्धि दिये जाने का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही दिया जाता है, अतः जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दी

जाना चाहिये थी। अनावेदक जिला शिक्षा अधिकारी का यह तर्क है कि उनके कार्यालय में सभी शिक्षक संवर्ग की बी.एड. से संबंधित जानकारी नहीं रहती है, उक्त जानकारी संबंधित शिक्षक के व्यक्तिगत नस्ती एवं सेवापुस्तिका में अंकित रहती है तथा सेवा पुस्तिका का संधारण विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्य करते हैं, इसी कारण जानकारी सभी शालाओं से बुलाना होगी, जिसके व्यय के संबंध में आवेदक को राशि जमा करने के लिये लिखा गया था। आवेदक ने यह भी सूचित नहीं किया कि किस अवधि से संबंधित जानकारी वह चाहता है। अतः आवेदक को जानकारी एकत्रित करने में हुये व्यय को जमा करना चाहिये था, तभी जानकारी संकलित कर दी जा सकती थी।

3/ प्रकरण से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा केवल ऐसे बी.एड. उत्तीर्ण सहायक शिक्षक/ उच्च वर्ग शिक्षक/ प्रधान पाठक/ व्याख्याता के संबंध में जानकारी चाही थी, जिनके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा वेतनवृद्धि दिये जाने के आदेश दिये गये हैं। ऐसे कम ही प्रकरण होंगे जिनमें कि संबधित शिक्षक के द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया है। न्यायालयीन वाद से संबंधित प्रकरणों की जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के पास होना चाहिये तथा ऐसे कितने शिक्षकों को न्यायालय आदेश के पश्चात् जो वेतनवृद्धि दी गई है यह भी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के पास उपलब्ध होना चाहिये। आवेदक के द्वारा दी गई संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश दिनांक 08–02–2007 की छायाप्रति से स्पष्ट है माननीय न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत जिन्हें पात्रता आती है, उन्हें दो वेतनवृद्धि देने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिये हैं। अतः यह जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध होना चाहिये तथा आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। आवेदक के आवेदन–पत्र के बिन्दु क्रमांक–2, 3 एवं 4 की जानकारी दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये। बिन्दु क्रमांक–5 के द्वारा जन सूचना अधिकारी का अभिमत माँगा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई विचार या अभिमत जो लिखित में नहीं है, वह नहीं दिया जा सकता। बिन्दु क्रमांक–1 की जानकारी काफी विस्तृत है तथा कोई समयावधि भी नहीं बतलाई गई है तथा यह संपूर्ण जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं रहती है, अतः ऐसी जानकारी जो कि जिला शिक्षा अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में आवेदक को यह सूचित किया जा सकता था कि वह संबंधित शाला के सूचना अधिकारी से नियमानुसार जानकारी प्राप्त करे। अनावेदक के द्वारा आवेदक से यह भी स्पष्ट कराया जा सकता था कि किस अवधि में बी.एड. की डिग्री प्राप्त लोगों की जानकारी चाही गई है। जहाँ तक न्यायालय के आदेश के अनुसार वेतनवृद्धि देने का संबंध है संचालनालय लोक शिक्षण के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह प्राप्त समस्त आवेदनों का परीक्षण करे एवं जिन्हें नियमानुसार पात्रता आती है, उन्हें वेतनवृद्धि प्रदान की जावे। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा उक्त निर्देश सभी प्राचार्यों एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को अग्रेषित कर यह भी निर्देश दिये गये हैं कि संबंधित शिक्षकों से अभ्यावेदन पूर्ण प्रमाण के साथ स्पष्ट अभिमत सहित भेजी जावे। इससे यह प्राथमिक रूप से पाया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत वेतनवृद्धि दिये जाने की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जाती है, अतः उनके कार्यालय में यह जानकारी होनी चाहिये कि उनके द्वारा जिन–जिन अभ्यावेदनों पर कार्यवाही उपरान्त जो वेतनवृद्धि स्वीकृत की गई है, उनकी

सूची आवेदक को प्रदान की जा सकती थी। अतः निर्देश दिया जाता है कि अब आवेदक को जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जो भी वांछित जानकारी उपलब्ध हो वह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर निःशुल्क प्रदान की जावे।

4/ इससे यह स्पष्ट है कि अनावेदक के द्वारा प्राथमिक रूप से जानकारी दिये जाने हेतु प्रयास नहीं किया गया और न ही निर्धारित अवधि में जानकारी आवेदक को दी। अतः जानकारी न देने के लिये अनावेदक पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–20(1) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जावे कि क्यों न उनके ऊपर 10,000/–रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जावे।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त